

नम्बर
अहकाम
हुकम का
में जा

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम को तामील
में जारी हुए

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
नाथूलाल vs गिरधारी 55/19


17/8/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 16/8/24 को पेश हो।



14/8/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 14/8/24 को पेश हो।



20/10/24

पत्रावली पेश हुई। वारी आदि 3 पं०
परिवारी आदि 3 पं० पुराना में संशोधित
उनका सिद्धि वारिसान की गलती हेतु गणना
सम्मान रजिस्टर्ड टैबल किये करे पेश करने
पर गानी करे पत्रावली दिनांक 20/10/24
को पेश करे

Noted.



20/11/24

पत्रावली पेश हुई वारी आदि 3 पं०
परिवारी आदि 3 पं० पुराना शाब्दिक
आदेश में दिनांक 4/12/24 को पेश करे

4/12/24

पत्रावली पेश हुई। वारी एवं गानी आदि
उपस्थित नहीं। पत्रावली में वारी एवं वारी
आधीवक्ता को निजमाउसा हीन वार
आवाजें लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित
नहीं आया। समय 5.50 PM हो चुका है। वारीगण
एवं वारी आधीवक्ता को न्यायालय में पुनः प्रक
वा मावाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित
नहीं आया। वारीगण एवं वारी आधीवक्ता को

— लगातार —


4/12/24
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

क	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज नाथूलाल व/र गिरफ्तारी 55/19</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
---	--	--

12/12/24 उपरोक्त वही आने से वादीगण डाटा प्राप्त
 बाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54, 188
 एवं 209 राजस्थान काइलकारी भादोनि प्रम को
 अदम हाजरी एवं अदम पैसी में खालि कियत
 जात है निधि से इवलान हुताजा गया
 पत्र सिद्धि जारी है।

पत्रावली जमल शुमार दोकर
 दाखिल कियत है तथा नम्बर में चम हो।


 सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. नाथुलाल पुत्र मोहवन ढोली जाति ढोली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भंवर लाल पुत्र रामलाल ढोली जाति ढोली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. लीला देवी विधवा नाराण ढोली जाति ढोली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. गिरधारी पुत्र लालू ढोली जाति ढोली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. प्रकाश पुत्र मोहवन ढोली जाति ढोली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी नेचूटी, तह0, किशनगढ, जिला अजमेर,
3. कालू उर्फ बजरंग पुत्र मोहवन ढोली जाति ढोली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी नेचूटी तह0 किशनगढ जिला अजमेर
4. नेनूडी पत्नी मोहवनढोली जाति ढोली आयु वयस्क निवासी भोपालगढ (गाडरमाला), तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी नेचूटी तह0 किशनगढ जिला अजमेर
5. नाराणी पुत्री नानूराम ढोली पत्नी लादू लाल जी ढोली आयु वयस्क निवासी मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा
6. कमला पुत्री नानूराम ढोली पत्नी गुणवन्त जी ढोली आयु वयस्क निवासी छोटी सादड़ी तह0 छोटी सादड़ी जिला चित्तौडगढ राज0
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 55/2019 राजस्व वाद

वादीगण स्वयं एवं वादी अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह राणावत उपस्थित नहीं— इस वाद में आज तारीख 04.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा